संख्या: 11/2021/49-3002(002)/4/2021-3

प्रेषक:

बी0एल0 मीणा
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग- 3 लखनऊ : दिनांक जुलाई, 2021

विषय: एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (आई.सी.डी.पी.) योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-18 के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-31/लेखा-अ/21-22, दिनांक 09.06.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कतिपय तथ्यों का उल्लेख करते हुए वर्ष 2021-22 में स्वीकृत आय-व्ययक प्राविधान के सापेक्ष एकीकृत सहकारी विकास परियोजना(आई.सी.डी.पी.) हेतु रूपये 1500.00 लाख अंशपूँजी, रूपये 1000.00 लाख अनुदान (रूपये 900.00 लाख परियोजना अनुदान तथा रूपये 2500.00 लाख अर्थात् कुल रूपये 5000.00 लाख का प्रस्तावित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-18 में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान मद में व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 1000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती है :-

(1) प्रश्नगत योजना के दिशा-निर्देश एवं फंडिंग पैटर्न के अनुसार देय ऋण, अंशधन एवं ब्याज की वसूली/प्रतिपूर्ति समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जाय।
(2) आगामी वित्तीय स्वीकृति के समय विभाग द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार देय ऋण अंशधन एवं ब्याज की वसूली/प्रतिपूर्ति सुनिश्चित कर ली गयी है, तथा योजना के संचालन एवं फंडिंग पर विचार किया जायेगा।
(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आई0सी0डी0पी0 से परियोजना की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त किया जायेगा।
(4) प्रोजेक्ट अनुमोदन करने वाली ए0पी0सी0 की अध्यक्षता वाली समिति सेस्वीकृत प्रोजेक्ट्स में निवेश के लिए आवश्यकतानुसार धनराशि आहरित की जायेगी।
(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय जिन मद/ कार्यों हेतु स्वीकृत की गयी है, उसी मद / कार्य में व्यय की जायेगी।निर्धारित मद/कार्य से इतर व्यय अनुमन्य न होगा।
(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि आई0सी0डी0पी0 परियोजना के निर्धारित पैर्टन पर राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में व समय पर प्रापत एवं निर्गत होने वाजी शर्तों के अनुरूप ही नियंत्रित होगी।
(7) योजना हेतु निर्धारित ऋण अंशधन एवं ब्याज की प्रतिपूर्ति समय से सुनिश्चित न होने पर अतिरिक्त देयता यदि निर्धारित होती है, तो उसके वहन किये जाने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ का होगा।
(8) प्रश्नगत धनराशि का आहरण एकमुश्त न कर आवश्यतानुसार किया जायेगा।

.....2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) योजनान्तर्गत अनुमोदित कार्यों में से ऐसे कार्यों का चयन किया जायेगा, जिनको प्रश्नगत धनराशि से संतृप्त किया जा सके।

(10) योजनान्तर्गत अनुमोदित कार्यों में से ऐसे कार्यों का चयन किया जायेगा, जिनको प्रश्नगत धनराशि से संतृप्त किया जा सके।

(11) योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियों को वितरित किये गये ऋण अंशधन एवं निर्धारित ब्याज की वसूली योजना के गाइडलान्स के अनुसार निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित किये जाने की जिम्मेदारी आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ की होगी।

(12) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ इस शासनादेश द्वारा निर्गत की जा रही स्वीकृत धनराशि की अनुमन्यता का आडिट रिपोर्ट दिनांक 31.12.2021 तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-18 के अधीन प्रस्तर-2 की सारिणी में अंकित लेखाशीर्षकों यथा अनुदान-2425-सहकारिता -800 अन्य व्यय-04-एकीकृत विकास परियोजना (एन0सी0डी0पी0 पोषित) 27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।
शासन के समसंख्यक पत्र दिनांक 22.07.2021 द्वारा पूर्व मेंआदेश निर्गत कर दिया गया है, अत: उक्त आदेश को यथावत् पढ़ा जाय।

भवदीय

बी0एल0 मीणा
प्रमुख सचिव।

संख्या: 11/2021/49-3002 (002) / 4/2021-3, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(5) वेब मास्टर, कार्यालय, आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(8) अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

शिवाजी सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।